

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
बुलन्दशहर।


आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में अधिवक्तागण एवं वादकारीगण का प्रवेश कोविड-19 की महामारी के कारण न्यायालय कक्ष में निषेध है तथा बुलन्दशहर स्थित दोनों सम्मानित बार संघ द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से यह याचना की गयी है कि अग्रिम तिथियों में सामान्य तिथि नियत कर दी जाये। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं तीनों अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर में निम्न अनुसार सामान्य तिथियां नियत की जाती हैं-

<u>दिनांक</u>	<u>आपराधिक, दीवानी एवं अन्य सभी प्रकार के वादों में नियत अग्रिम दिनांक</u>
22.06.2021	03.08.2021
23.06.2021	04.08.2021
24.06.2021	05.08.2021
25.06.2021	06.08.2021
26.06.2021	09.08.2021
28.06.2021	10.08.2021

तदनुसार सम्बन्धित न्यायालय एवं दोनों बार संघ, बुलन्दशहर तथा सूचनाधिकारी, बुलन्दशहर एवं सिस्टम ऑफिसर, बुलन्दशहर सूचित हों।

दिनांक-21.06.2021


21/06/21
(हरकेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।